भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 906
उत्तर देने की तारीख 04 फरवरी, 2026

भारतनेट केंद्रीय वित्तपोषित/निगरानी सेवा

906. डॉ. मल्लू रविः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि भारतनेट केंद्र द्वारा वित्तपोषित है और उसकी केंद्र द्वारा निगरानी की जाती है और इसके बाद भी अंतिम छोर तक सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी नियमित रूप से राज्यों को सौंपी जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप एक विकेंद्रीकृत जवाबदेही संरचना बनती है जहां नागरकुर्नूल जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में अकार्यशील संचार-संपर्क के लिए न तो केंद्र और न ही राज्य को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास फाइबर बिछाने और उसके कार्यशील होने के बाद सेवाएं अनुपलब्ध रहने की स्थिति में कोई योजना/दंड या कोई सुधारात्मक तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ऐसे "सृजित किंतु अप्रयुक्त" मामलों की निगरानी करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सेवागत परिणाम के बगैर निरंतर व्यय करते रहने से सरकार के परिणाम-आधारित सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है; और

(च) जवाबदेही की उक्त कमी को दूर करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) भारतनेट, दूरसंचार विभाग के अंर्तगत डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्तपोषित है। भारतनेट के अधीन सृजित परिसंपत्तियां डीबीएन के मालिकाना हक वाली राष्ट्रीय परिसंपत्तियां हैं, जो सभी सेवा प्रदाताओं को बिना किसी भेदभाव के सर्विस देने के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें अंतिम छोर तक सेवा प्रदान करना शामिल है।

(ख) दूरसंचार विभाग के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) ने भारतनेट फेज़ I और II को लागू किया। तेलंगाना सहित आठ राज्यों को

भारतनेट फेज़-II को कार्यान्वित करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी। नागरकुरनूल ज़िले में 415 ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कर दिया गया है।

तेलंगाना सहित राज्यों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में पक्षकारों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां बताई गई हैं और ये https://usof.gov.in/en/project-documents पर उपलब्ध है।

(ग) सरकार ने 04.08.2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत भारतनेट के लिए एक संशोधित कार्यान्वयन मॉडल को मंज़ूरी दी है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी (पीएमए) के तौर पर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें आरएफपी प्रावधानों के अनुसार नेटवर्क के ऑपरेशन और मेंटनेंस के लिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) शामिल हैं। आरएफपी https://tender.bsnl.co.in/bsnltenders/bsnltender/tender_achieve_view_detail_1.jsp?&tenderID=50543 पर उपलब्ध है।

(घ) से (च) 31.12.2025 को भारतनेट नेटवर्क के उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	आइटम	मात्रा
1	प्रदान किए गए एफटीटीएच कनेक्शन (सं.)	14,07,784
2	डार्क फाइबर लीज्ड (फाइबर किलोमीटर)	1,19,905
3	बैंडविड्थ की लीजिंग (एमबीपीएस में)	3,98,841
4	डेटा खपत (टीबी में)	1,89,448

विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) जो कि नीति आयोग का एक सम्बद्ध कार्यालय है, आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) का रखरखाव करता है, जिसमें डीबीएन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं सहित डिजिटल कनेक्टिविटी कार्यक्रम के लिए इंडिकेटर्स शामिल हैं। विवरण डीएमईओ की वेबसाइट (https://dmeo.gov.in/output-outcome-framework?ministry=55&tid_1=223) पर उपलब्ध हैं ।

भारतनेट प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग सरकार, राज्य ब्रॉडबैंड समितियों (एसबीसी) और जिला स्तरीय संचार समितियों (डीएलटीसी) द्वारा की जा रही है।

*****